



झारखण्ड सरकार

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड  
जिला आपदा प्रबंधन कोषांग, दुमका

आदेश संख्या:-.....66...../2017

सरकार के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्र संख्या 04/आ0 प्र0 (विविध)-17/2014-55 (आ0) आ0 प्र0 राँची दिनांक 06/10/2017 द्वारा मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत अधिसूचित प्राकृतिक आपदा आग से क्षतिग्रस्त कपड़ा-बर्तन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) से उपायुक्त महोदय दुमका को कुल 30,000.00 (तीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त है एवं राशि की निकासी हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित वजत शीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

बजट शीर्ष	आवंटित राशि
मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघुशीर्ष -101-अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-04-प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, 2245-02-101-04-06-49। विपत्र कोड-39S224502113030543.	30,000.00 (तीस हजार) रुपये मात्र
कुल तीस हजार रुपये मात्र	30,000.00

(3) कुल प्राप्त आवंटन 30,000.00 (तीस हजार) रुपये मात्र को पूर्व स्वीकृत अभिलेख के आधार पर निम्न लिखित अंचल अधिकारियों को उपावंटित किया जाता है।

क्र0 सं0	अंचल का नाम	उपावंटित राशि
1	रामगढ़	5,000.00
2	मसलिया	5,000.00
3	जरमुंडी	5,000.00
4	गोपीकान्दार	5,000.00
5	जामा	5,000.00
6	सरैयाहाट	5,000.00
कुल तीस हजार रुपये मात्र		30,000.00

- (4) यह आवंटन विभागिय संकल्प संख्या-604 दिनांक 18/05/2015 एवं दिनांक-19.03.2015 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित मामले-सूखा, फसल क्षति, मृत पशुओं के replacement, मत्स्य, Handicrafts/Handloom एवं आधारभूत संरचना को छोड़कर शेष मामले में अंचल अधिकारी आवंटन प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकार है।
- (5) राशि की निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी सम्बन्धित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे जिनके द्वारा सम्बन्धित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।
- (6) सभी भूगतान लाभुक के बचत खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से किया जाय।
- (7) सम्बन्धित अंचलाधिकारी भूगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भूगतान यथा निर्धारित मानकों (S.D.R.S मानकों) के अनुरूप किया जा रहा है।
- (8) आवंटित राशि की निकासी एवं व्याय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।
- (9) (I) इसका ब्यौरा आनलाइन जिले के वेबसाइट पर रखना चाहिए।  
(II) भूगतान घटना के 60 दिन के अंदर अवश्य होना चाहिए।
- (10) किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि प्रत्यापण की सूचना 20 मार्च 2018 के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व अंचल अधिकारी-तथा-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
- (11) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-33-06/2015-NDM-I, दिनांक-06/05/2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार व्यय का मासिक विवरण विभाग को सम्बन्धित अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (12) (i). व्यय के पश्चात विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित अंचल अधिकारी, द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।  
(ii). आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।  
(iii). महालेखाकर से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।  
(iv). संबंधित अंचलाधिकारी निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।  
(v). संबंधित अंचलाधिकारी स्थल निरीक्षण कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भूगतान वास्तविक लाभुक को ही हो रहा है। साथ ही आश्वस्त हो लेंगे कि मुआवजा भूगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।

- (13). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना का कार्य के विरुद्ध राशि व्याय की जा रही है, जिसे किसी दुसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना सम्बन्धित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
- (14). (क) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।  
 (ख) वित्त विभागीय परिपत्र 2561, दिनांक 17/04/1998 पत्रांक-2522/वि0, दिनांक 24/10/2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-759 दिनांक 20/03/2015 का मालन अक्षरशः पालन किया जाय।  
 (ग) कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली विभिन्न वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।  
 (घ) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।  
 (ङ) अभिलेखों को अंकक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
- (15). प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

डा०  
उपायुक्त,  
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ० प्र० को०, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:- सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़, मसलिया, जरमुण्डी, गोपीकान्दार, जामा, सरैयाहाट एवं कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हतू प्रेषित।

डा०  
उपायुक्त,  
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ० प्र० को०, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:-आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

डा०  
उपायुक्त,  
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ० प्र० को०, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:- सरकार के सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) राँची, झारखण्ड/ सरकार के प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

डा०  
उपायुक्त,  
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ० प्र० को०, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:- महालेखाकर राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

डा०  
उपायुक्त,  
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ० प्र० को०, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

डा०  
उपायुक्त,  
दुमका